

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.09.2023 को श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित टीम के उ0नि0 सनय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 01 नफर अभियुक्त अंकित कुमार प्रजापति पुत्र गजराज उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बुन्देला थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये रामनगर तिराहा कुलपहाड़ रोड़ मुहल्ला रामनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 414/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी, आपराधिक विवरण -

अभियुक्त अंकित कुमार प्रजापति पुत्र गजराज उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बुन्देला थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज सम्बन्धित मु0अ0सं0- 414/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ.नि. सनय कुमार प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2.उ0नि0 शेर आलम खाँ प्रभारी चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
- 3.कां0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.09.2023 को श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा वांछित/वारण्टी की तलाश, चेकिंग संदिग्ध के दौरान मु.अ.सं. 262/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मनीष पुत्र मातादीन उम्र 24 वर्ष निवासी फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर जिला महोबा को नया प्राइवेट बस स्टैण्ड छतरपुर रोड़ महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण:-

अभियुक्त मनीष पुत्र मातादीन उम्र 24 वर्ष निवासी फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वांछित मु.अ.सं. 262/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां० प्रवीण कुमार यादव
3. कां० कुबेर सिंह



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने लवारिस हालत में मिले बच्चे को उसके परिजनों से मिलाया परिवार में लौटी खुशियाः-

दिनांक 03.09.2023 को थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम को थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा कुलपहाड़ बस स्टैंड के पास 02 वर्ष 06 माह का बच्चा लावारिस हालत में मिला था जो अपना व अपने परिजनों के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ था। थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा बच्चे को अपने संरक्षण में लेते हुये इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी तथा बच्चे के परिजनों के बारे में जानकारी/खोजबीन के लिये प्रयास किये जा रहे थे, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री लाखन सिंह द्वारा बच्चे के परिजनों से खोजबीन के लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा लिया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा बच्चे के सम्बन्ध में सूचना विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म में प्रसारित कर बच्चे को उसके परिजनों से मिलाने के लिये पुलिस सहयोग की अपील की गयी।

लवारिस बच्चे को उसके परिजनों तक पहुंचाये जाने हेतु किये जा रहे सार्थक प्रयासों के क्रम में आज दिनांक 04.09.2023 को (24 घण्टे के अन्दर) जनपद पुलिस की थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने बच्चे के परिजनों का पता लगा उन तक पहुंचने में सफल रही।

नाबालिक बच्चे के पिता महिपाल पुत्र जानकी निवासी सेला खालसा थाना कुलपहाड़ व बच्चे का नाम रितिक पुत्र महिपाल उम्र 02 वर्ष 6 माह ज्ञात हुआ, इस सम्बन्ध में बाल कल्याण समिति सूचित कर बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बच्चे को पाकर परिवार में प्रसन्नता का महौल रहा सभी ने थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम को धन्यवाद दिया।

आप सभी के सहयोग से बच्चे को सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जनपदीय पुलिस आप सभी जनपदवासियों/पत्रकार बन्धुओं का धन्यवाद ज्ञापित करती है।



थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.09.2023 को श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा उ0नि0 रमाकान्त शुक्ल मय हमराह कां0 नरेन्द्र बाबू के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र विनोद सिंह तोमर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम परसहा के पास से एक प्लास्टिक के बोरी में 20 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 238/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रोहित सिंह पुत्र विनोद सिंह तोमर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति:- एक प्लास्टिक के बोरी में 20 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रमाकान्त शुक्ल
2. कां0 नरेन्द्र बाबू



आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की, की गयी सघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आगामी त्यौहार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी / चेहल्लुम के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा/शान्ति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आज दिनांक 04.09.2023 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन फ्लैग मार्च/पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/ कस्बों/ बस अड्डा/ सार्वजनिक स्थानों/ प्रमुख चौराहों/ प्रमुख बाजारों/ मन्दिर/ शॉपिंग मॉल/ प्रमुख मार्गों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग कर आवश्यक हिदायत दी गयी। जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। यातायात नियमों के उल्लंघन में वाहनों के ई-चालान किये गये।



महोबा पुलिस